# राजस्थान सरकार
## वित्त (वित्तीय नियम) विभाग

क्रमांकः–एफ 8(6)/एफडी/एसपीएफसी/परिपत्र/2023 दिनांकः 12-11-2025

### परिपत्र

उपापन संस्था द्वारा उपापन से संबंधित बोलियो में न्यूनतम बोलीदाता एक से अधिक आने पर सफल बोलीदाता का चयन किस प्रकार किया जावेगा का उल्लेख बोली दस्तावेजों मे नहीं किये जाते हैं, जिस कारण उपापन संस्था द्वारा किसी एक न्यूनतम बोलीदाता को सफल बोलीदाता घोषित किये जाने पर इसके अलावा अन्य न्यूनतम बोलीदाताओ द्वारा उपापन प्रक्रिया को विलम्बित किये जाने की सम्भावना बनी रहती है या उन उपापन संस्थाओ द्वारा उपापन अवधि में इस हेतु वित्त विभाग से मार्गदर्शन चाहा जाता है। अतः इस संबंध में निम्न दिशा निर्देश जारी किये जाते है:–

1. **जहॉ एक ही बोलीदाता को आदेश देना हो:–** न्यूनतम बोलीदाता (एल–1) एक से अधिक आने पर सफल बोलीदाता का चयन किस आधार पर किया जावेगा, का उल्लेख उपापन संस्थाओ द्वारा अपने बोली दस्तावेजो में आवश्यक रूप से किया जावेगा। इसके आधार हेतु उपापन संस्था अपने कार्य की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए बोली दस्तावेजो में बोलादाता का अधिकतम टर्नऑवर या अधिकतम अवधि का कार्यानुभव या बोलीदाता के पास उपलब्ध मानव संसाधन की संख्या आदि में से कोई एक शर्त रखी जा सकती है या उपापन संस्था द्वारा अपने विशिष्ट कार्यानुसार अन्य कोई शर्त भी रखी जा सकती है।

2. **राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के नियम 74 के तहत एक से अधिक बोलीदाताओ को आदेश देना हो:–**

   (अ) यदि बोली दस्तावेजो की शर्तो के अनुसार कार्यादेश 2 बोलीदाताओं (न्यूनतम बोलीदाता (एल–1) एंव द्वितीय न्यूनतम बोलीदाता (एल–2) में ही विभाजित करना हो:–

   (i) यदि बोलीदाता (एल–1) एक से अधिक है तो समस्त कार्यादेश इन्हीं न्यूनतम बोलीदाताओं (एल–1) में समान रूप से विभाजित कर दिया जावेगा एंव द्वितीय बोलीदाता (एल–2) को Counter Offer नहीं दिया जावेगा।

   (ii) यदि न्यूनतम बोलीदाता एल–1 एक ही हो तो ऐसी स्थिति में एल–2 बोलीदाता को Counter Offer दिया जावेगा तथा एल–2 बोलीदाता द्वारा Counter Offer स्वीकार किये जाने पर कुल कार्यादेश का अधिक भाग

एल–1 बोलीदाता को देते हुए शेष भाग एल–2 बोलीदाता को दिया जावेगा। यह बोली दस्तावेजो में पूर्व में स्पष्ट करना बेहतर है।

(ब) यदि कार्यादेश दो से अधिक बोलीदाताओं में विभाजित करना हो:–यदि न्यूनतम बोलीदाता (एल–1) या/और द्वितीय न्यूनतम बोलीदाता (एल–2) एक से अधिक है तो इनकी गणना पृथक–पृथक करते हुए उनमें कार्य विभाजन किया जावेगा। उदाहरण:–जैसे दो बोलीदाता एल–1 तथा दो बोलीदाता एल–2 है तो ये चार बोलीदाता होगें यथा एल–1(अ), एल–1(ब), एल–2(अ) एवं एल–2(ब)। ऐसी स्थिति में उपापन संस्था को आवश्यकता होने पर दोनों एल–2 बोलीदाताओं को Counter Offer दिया जावेगा तथा दोनों एल–2 बोलीदाताओं द्वारा Counter Offer स्वीकार किये जाने पर कुल कार्यादेश का अधिक भाग एल–1 बोलीदाताओ को देते हुए (जिसको एल-1(अ) बोलीदाता एंव एल-1(ब) बोलीदाता में समान रूप से विभाजित किया जावेगा) शेष भाग एल–2 बोलीदाताओ (एल-2(अ) बोलीदाता एंव एल-2(ब) बोलीदाता में समान रूप से विभाजित किया जावेगा) को दिया जावेगा।

राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के नियम, 74 के तहत एक से अधिक बोलीदाताओं को आदेश देना आवश्यक हो तो ऐसी स्थिति में सफल बोलीदाताओं का चयन किस प्रकार किया जावेगा का उल्लेख उपापन संस्थाओं द्वारा अपने बोली दस्तावेजों में आवश्यक रूप से किया जावेगा।

(सचिन जैन)
शासन सचिव, वित्त (बजट)

सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही एवं अपने अधीनस्थ कार्यालयों को सूचित करने हेतु प्रेषित है:–

1. निजी सचिव–राज्यपाल/मुख्यमंत्री/समस्त–मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण।
2. निजी सचिव–मुख्य सचिव/समस्त–अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/ विशिष्ट शासन सचिव/उप–शासन सचिव।
3. सचिव–राजस्थान विधान सभा, राजस्थान, जयपुर/राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर/लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर।
4. पंजीयक–राजस्थान उच्च न्यायलय,जोधपुर/जयपुर/राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर।
5. प्रधान महालेखाकार–(सिविल लेखा परीक्षा)/(ए एण्ड ई)/(प्राप्ति एवं वाणिज्यिक लेखा परीक्षा) राजस्थान, जयपुर।
6. समस्त–संभागीय आयुक्त/विभागाध्यक्ष/जिला कलक्टर।
7. निदेशक, कोष एवं लेखा विभाग, राजस्थान ,जयपुर।
8. समस्त–वित्तीय सलाहकार/मुख्य लेखाधिकारी/कोषाधिकारी।
9. निदेशक (तकनीकी)/सिस्टम एनालिस्ट, इस परिपत्र को वित्त विभाग की वेबसाइट पर प्रकाशित करने बाबत।

संयुक्त शासन सचिव,
वित्त (एफआर) विभाग